प्रेषक,

महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक,
एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

5208-2

पत्रसंख्याः एस0पी0एम0यू / एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0आपरेटर / 2014–15 / 51–आर / रजि0 / दिनांकः 10/2/15

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 फैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु निर्धारित आर0सी0एच0 रजिस्टर की प्रिटिगं कराने हेतु दिशानिर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,मू

उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू / एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 आपरेटर / 2014–15 / 51–आर / रजि0 / 4226–2 दिनांक 2212.2014 के कम में उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में एम0सी0टी0एस0 फैसिलिटी बेस्ड शत प्रतिशत रिपोर्टिंग हेतु इन्टीग्रेटेड आरसीएच रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु रू0 250.00 पत्र रजिस्टर (प्रति 1000 की जनसंख्या हेतु 2 वर्ष के लिए) प्रति राजस्व गांव की दर से बजट प्रेषित किया गया था। उक्त रजिस्टर प्रिन्ट कराने के सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार स्पेसीफिकेशन प्राप्त हुआ है :

Specifications for printing of Integrated RCH Register Version 1.1 are as under:

Item	No. of Revenue villages	Rate	Specification for RCH Register	
Printing of Integrated RCH Register Version 1.1	Total 96112 of 75 districts	Rs. 250.00 per Register per 1000 population of revenue villages for 2 years	1	Size 11" X 17"
			2	Inner page: 90 GSM
			3	Inner cover page: 120 GSM
			4	. Outer cover: Gatta 24 ounze

अवगत कराना है कि यू0पी0एन0एच0एम0 वेबसाइट पर आरसीएच रजिस्टर मुद्रण हेतु संशोधित संस्करण 1.1, खण्ड क, ख, ग एवं घ निम्नानुसार साफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध है, वेबसाइट से डाउनलोड करने का कष्ट करें।

1. http://upnrhm.gov.in/site- files/ downloads/ RCH_Register_Cover__Profile_pages.pdf
2. http://upnrhm.gov.in/site-files/downloads/RCH_Register_Section-I.pdf
3. http://upnrhm.gov.in/site-files/downloads/RCH_Register_Section-II.pdf
4. http://upnrhm.gov.in/site-files/downloads/RCH_Register_Section-III.pdf
5. http://upnrhm.gov.in/site-files/downloads/RCH_Register_Section-IV_backcover.pdf

अतः उपरोक्त के क्रम में उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप एवं जनपद के आवश्यकतानुसार दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आरसीएच रजिस्टर प्रिन्ट कराकर संबधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

वित्तीय व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों / निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू / एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0आपरेटर / 2014–15 / 51–आर / रजि0 / तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0